संख्या शिक्षा–एच(प्रा0)(4)3–7/2012–2013–अल्पसंख्यक–भाग–11
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–171001 23/3-5-17 अप्रैल 2017

सेवा में,

निदेशक सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

विषयः– छात्रवृति आवेदन हेतु प्रैस विज्ञाप्ति जारी करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए प्री0 मैट्रिक केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृतियाँ प्रदान करने के लिए विज्ञापन में प्रकाशन हेतु सामग्री संलग्न है। छात्रवृतियों के नामः–

1. **अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति।**
2. **अस्वच्छ व्यवसाय के बच्चों को प्री0 मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन।**

कृप्या इसे हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों मे शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा करें।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
01 MAY 2017
शिमला – 1

भवदीय,

निदेशक

संलग्नः छात्रवृति योजना (दो)

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला–171004 हमीरपुर तथा धर्मशाला से निवेदन है कि उक्त छात्रवृति योजनाओं का आकाशवाणी से प्रचार एवं प्रसारण करने की कृपा करें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र शिमला–171004 से निवेदन है कि उक्त छात्रवृति योजनाओं का प्रसारण करने की कृपा करें।
3. श्री नसीम निदान, अध्यक्ष अखिल भारतीय मुस्लिम कल्याण समुदाय, 766/4 धुनूघाट, नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षानिदेशालय
हिमाचल प्रदेश।

57.5580
675

O/o Dy. Director Higher Education Shimla

Endst No. C5-2)/17 Gen. Scholarship, Dated

Director of Higher Education Shimla-1
No. 82599-8
16 MAY 2017

Copy to:
1 Director Elementary Education H.P. Shimla-1
2 All the Principal/Headmasters GSSS/GHS/Pvt. Schools in Distt. Shimla
3 The Nodal officer IT (internal) for n/a please

Dy. Director of Higher Edu.
Shimla Distt. Shimla (H.P.)

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश

1. वर्ष 2017–18 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय प्री0 मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में कक्षा 1 से 10 तक कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के online फार्म भरे जाने हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत निम्नलिखित दरों पर प्री0 मैट्रिक छात्रवृति प्रदान करने के लिए समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के माध्यम से आधार नम्बर/बैंक खाता संख्या सहित् आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे।

क्र0 सं0	वित्तीय सहायता का वितरण	छात्रावास में रहने वाले छात्रों कों छात्रवति दर।	दिवा छात्रों कों छात्रवति दर।
1. अल्पसंख्यक	कक्षा पहली से पांचवी तक प्रवेश शुल्क	शून्य	100/–रूपये प्रति मास दस माह के लिए
–यथो–	छठी से दसवीं तक प्रवेश शुल्क	500/– रूपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर	500/– रूपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर
–यथो–	छठी से दसवीं तक टयूशन शुल्क	350/– रूपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर दस माह के लिए	350/– रूपये प्रति मासिक वास्तविकता के आधार पर दस माह के लिए
–यथो–	छठी से दसवीं रख रखाव निशुल्क	600/– रूपये प्रतिव वास्तविकता के आधार पर	100/–रूपये प्रति मास दस माह के लिए

यह छात्रवति हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व, पारसी, व जैन) के बच्चों को देय होगी, तथा विद्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय 1.00/– लाख रूपये (एक लाख) रूपये से अधिक न हो व पिछली उर्त्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत् से अधिक अंक प्राप्त हों तथा 30 प्रतिशत छात्रवृतियॉं पात्र छात्राओं के लिए आरिक्षत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न दूरभाष नम्बर 0177–2656183 व इन योजनाओं के प्रपत्र **National scholarship portal 2.0** की बेवसाईट पर शीघ्र उपलब्ध होगें।

निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)
हिमाचल प्रदेश।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश

2. अस्वच्छ व्यवसाय के बच्चों को प्री0 मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दरों पर प्री0 मैट्रिक छात्रवृति प्रदान करने के लिए समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के माध्यम से आधार नम्बर/बैंक खाता संख्या सहित् आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।सम्बन्धित जिला के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा /उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में यह आवेदन दिनांक 30–06–2017 तक पहुंच जाने चाहिए।

योजना	वित्तीय सहायता का वितरण	तदर्थ अनुदान	दिवा छात्रों (Day Scholar) को छात्रवृति दर
अस्वच्छ व्यवसाय	कक्षा एक से दसवीं तक (अस्वच्छ व्यवसाय) में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए छात्रवृति	750/– रूपये प्रतिवर्ष/वास्तविकता के आधार पर	110/– रूपये प्रति दस माह के लिए

यह छात्रवृति उन्ही बच्चों को देय होगी जिनके माता–पिता अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत है। छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला के उप शिक्षा निदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न दूरभाष नम्बर 0177–2656183 व इन योजनाओं के प्रपत्र इस निदेशालय की बेवसाईट himachal.nic.in/eleedu/form.html पर उपलब्ध है।

निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)
हिमाचल प्रदेश।